अल्पसंख्यक समूह : अर्थ एवं लक्षण

अल्पसंख्यक चरित्र का निर्धारण जनसंख्या के आकार के आधार पर नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक समूह उसे कहते हैं जो प्रजाति अथवा संस्कृति के आधार पर भेदभावपूर्ण पक्षपात का शिकार होता है। जैसाकि मानवाधिकार आयोग ने भी स्वीकार किया है कि केवल वे समूह या समुदाय अल्पसंख्यक समूह या समुदाय कहे जायेंगे, जिनकी अन्य समूह या समुदाय के लोगों से एक अलग अपनी जातीय, धार्मिक भाषायी या चारित्रिक विशिष्टताएं हों और जो उन्हें बनाये रखने की इच्छा भी रखते हैं। स्पष्ट है अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीयता, धर्म प्रजाति या भाषा के आधार पर अपने को समाज के अन्य समुदायों से अलग मानता है और समाज के अन्य समुदायों के लोग भी उसे नकारात्मक अर्थों में लेते हैं। साथ ही, ये समूह अपेक्षाकृत रूप से कम शक्तिशाली होते हैं जिससे उन्हें अलगाव, भेदभाव एवं अन्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है जिसका परिणाम इन समूहों में असुरक्षा की भावना और बहुसंख्यक समुदायों के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया के रूप में दिखायी देता है।

इस प्रकार अल्पसंख्यक समूह की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं -

(i) अल्पसंख्यक समूह किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक समूह के अधीन होते हैं,

(ii) यह समूह सांस्कृतिक या भौतिक विशेषताओं के आधार पर बहुसंख्यकों से भिन्न होते हैं,

(iii) ये बहुसंख्यकों से भिन्न एवं हीन होते हैं, एवं

Scanned by CamScanner

(iv) ये सामाजिक जीवन में समग्र रूप से भागीदारी से वंचित होते हैं।

इस प्रकार अल्पसंख्यक समूह की पहचान प्रभुत्वशाली समूह द्वारा भेदभाव, पूर्वाग्रह एवं प्रवंचना और अल्पसंख्यक समूह द्वारा आत्म-प्रवंचना के आधार पर की जा सकती है।

अल्पसंख्यक समुदाय अनिवार्य रूप से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टताओं को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। प्रभुत्वशाली समूह अल्पसंख्यक समूह को हमेशा आत्मसात करने का प्रयास करता है, जो इसका विरोध करते हैं वे दमन का शिकार होते हैं। बहुसंख्यक समूह की यह प्रवृत्ति अल्पसंख्यकों में अलग पहचान बनाए रखने की चेतना को और बहुसंख्यक विरोधी भावनाओं को मजबूत बनाती है।

लोकतांत्रिक समाजों में अलग पहचान की इच्छा, राजनीतिक माँगों से जुड़ जाती है। यह माँगे या तो विशेष सुविधाओं के लिए होती हैं या अल्पसंख्यकों की अपनी पहचान को मान्यता दिए जाने के लिए अथवा अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों की स्वायत्तता या अलगाव के लिए भी हो सकती है।

सामाजिक समूहों की अल्पसंख्यक के रूप में पहचान अन्य समूहों के साथ उनके संबंधों के आधार पर ही की जा सकती है। अतः अल्पसंख्यक वर्ग की अवधारणा समाज में प्रभुत्व एवं भेदभाव के अनुसार परिवर्तनीय है। प्रायः अल्पसंख्यक समुदायों का गठन साझे धार्मिक, भाषायी या सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं किंतु जम्मू एवं कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं। उसी प्रकार ईसाई नागालैंड, मेघालय एवं मणिपुर में बहुसंख्यक हैं। धार्मिक पहचान के अतिरिक्त किसी समूह की पहचान जातीय पहचान के आधार पर भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए कोई मुसलमान अपनी पहचान बंगाली या मलयाली के रूप में स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार कई अल्पसंख्यक समूह साझा संस्कृति एवं मूल्यों के आधार पर भी स्वयं को संगठित कर अपनी पहचान की खोज करते हैं।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सांख्यिकीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी है। इसके अनुसार किसी राज्य में 50% से कम आबादी वाले समूहों को अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है-भाषायी और धार्मिक। इसके अनुसार लगभग 80.5% लोग धार्मिक रूप से हिन्दू हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी व अन्य को लेकर अल्पसंख्यकों का लघु समूह बनता है। संविधान संस्कृति, जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान को मान्यता नहीं देता है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं

मुस्लिमों की सामाजिक समस्याएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार भारत में मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी अल्संख्यक समुदाय हैं जिनमें मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है जो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ है। ये झारखण्ड में मुख्यतः बहुसंख्यक हैं और गुजरात एवं राजस्थान में अल्पसंख्यक हैं।

मुसलमानों को बहुसंख्यक धार्मिक समूह की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा समुदाय माना जाता है और ''गोपाल सिंहसमिति'' , 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन' की रिपोर्ट, ''योजना आयोग'' द्वारा जारी किये गये रिपोर्ट तथा 'सच्चर समिति' की रिपोर्ट में इन्हें कम विकसित एवं समस्याग्रस्त समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया है।

भारत में मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है -

1. असुरक्षा का भाव - आजादी के बाद से और मुख्यतः 1986 के बाद से निरंतर जारी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के कारण मुस्लिमों के मन में असुरक्षा का भाव पनपता रहा है और वे अपने जान-माल को लेकर सदैव भयभीत रहने लगे हैं।
2. साम्प्रदायिकता और जान-माल की हानि बहुसंख्यक समुदाय से संघर्ष एवं साम्प्रदायिक दंगों में इस समुदाय के लोगों की जान-माल की अधिकतम हानि हुई है और उन्हें अपना व्यवसाय, मुहल्ला यहां तक कि अपना शहर छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा है।
3. गरीबी एवं बेरोजगारी-भारतीय मुसलमानों में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी किया गया है। आज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मुसलमान 43% हैं, मुसलमानों में 54% स्वरोजगार में लगे हैं, गांवों में रहने वाले मुसलमानों में गरीबी और बेरोजगारी अधिक

Scanned by CamScanner

है तथा सरकारी नौकरियों में उनका स्थान 4.9% है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में 2.68%, भारतीय पुलिस सेवा में 2.0%, प्रथम वर्ग सेवाओं में 3.04%, तथा सार्वजनिक सेवाओं में इनकी भागीदारी मात्र 2% है।

4. अशिक्षा की समस्या इस समुदाय की एक प्रमुख समस्या है। साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वर्ष से अधिक उम्र के 48% मुसलमान पढ़-लिख नहीं सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 0.8%, शहर में 3.1% स्नातक हैं।
5. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 2000, सच्चर समिति रिपोर्ट, 2007 आदि के अनुसार अन्य समुदायों के अपेक्षा इनका जीवनस्तर निम्न है। साथ ही अन्य समुदायों की अपेक्षा इनमें उपभोग स्तर भी निम्न है।
6. आवास की समस्या वर्तमान भारतीय मुस्लिमों की एक अन्य प्रमुख समस्या है। बनारस, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता के मुस्लिम समुदायों में एक कमरे में रहने वाले सदस्यों की संख्या लगभग 8 है।
7. मुसलमानों में तलाक विवाह एवं परिवार संबंधी सबसे बड़ी समस्या है। हाल के वर्षों में हिन्दू समाज व आधुनिक समाज के संपर्क में आने से तलाक की दर में कुछ कमी अवश्य आयी है फिर भी आज यह एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।
8. स्त्रियों की निम्न स्थिति भी इस समुदाय की एक बड़ी समस्या है।
9. जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी इस समुदाय में गंभीर बनी हुई है।

मुस्लिमों की समस्या के कारण

भारत में मुस्लिम समुदाय की उपरोक्त समस्याओं हेतु निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं:

1. अन्य धार्मिक समुदायों की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय में धार्मिक रूढ़िवादिता अधिक विद्यमान है और हाल के वर्षों में उत्पन्न पहचान के संकट ने इसको और बढ़ाया है यह धार्मिक रूढ़िवाद कई रूपों में मुस्लिम समुदाय के लिए समस्यात्मक रहा है।
2. मुस्लिमों में व्याप्त अशिक्षा भी उनकी समस्याओं हेतु एक प्रमुख उत्तरदायी कारक रहा है क्योंकि उसने न केवल उन्हें रूढ़िवादी बनाया है बल्कि इसके कारण ये विकास के अवसरों से भी वंचित रहे हैं।
3. गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी इनका जीवनस्तर एवं शिक्षा का स्तर निम्न रहा है और यह बहुसंख्यक समुदायों से पिछड़ गए हैं।
4. मुस्लिमों में मजहबी शिक्षा पर जोर होने के कारण इनमें रूढ़िवाद का विकास संभव हुआ है जिसके कारण ये आधुनिक मूल्यों से सामंजस्य बैठा पाने एवं विकास के स्तर को प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
5. जनसंख्या वृद्धि भी इनकी गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के लिए एक प्रमुख कारण बनी हुई है।
6. उनके सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव को भी उनके पिछड़ेपन एवं रूढ़िवादी मानसिकता के विकास के प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है।
7. हिन्दू संस्कृति के साथ इनके समायोजन के अभाव ने भी दोनों समुदायों में तनाव को बनाये रखा है।

समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास

भारत में 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया है और इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कई उपचारात्मक प्रयास किये गये हैं, जैसे -

1. इनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक उपायों के तहत भाषा-लिपि के संरक्षण अधिकार प्रदान किया गया है। इनको शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय पर नजर रखने हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
2. इनके लिये शैक्षणिक विकास संबंधी कई योजनाएं चलाई गयी है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की समस्याओं की जांच के लिये अल्पसंख्यक शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। समाज के पिछड़े वर्गों विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में शिक्षा संबंधी विकास को बढ़ावा देने हेतु स्वायत्त संगठन के रूप में 'मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान' की स्थापना की

Scanned by CamScanner

गयी है। उनके लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग, छात्रवृत्ति आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

3. 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई जो अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा।
4. वक्फ प्रशासन किसी चल या अचल संपत्ति के लिये लागू है और मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रचलित है। वक्फ प्रशासन अल्पसंख्यक सामाजिक-आर्थिक विकास का साधन भी है जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ भी मिलता रहता है। अत: इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में वक्फ प्रशासन भी एक प्रमुख उपाय है।

उपरोक्त प्रयासों के अलावा आज कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी क्रियाशील है, जैसे-गिरीश कर्नाड, यू.आर. अनन्तमूर्ति आदि द्वारा 'Forum Against Communalism' की स्थापना की गई है जो अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हेतु क्रियाशील है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप यद्यपि मुस्लिम समस्याओं का बहुत हद तक समाधान संभव हुआ है तथापि आज भी यह एक प्रमुख पिछड़ा समुदाय है (सच्चर समिति) अत: इनकी समस्याओं समाधान हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जा सकता है-

1. विभिन्न धर्मों के बीच पारस्परिक विश्वास को अनेक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा या एक-दूसरे के कार्यक्रमों में सहभागिता के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए।
2. उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करके उनके मन में बैठे उपेक्षा के भाव को दूर करना चाहिए।
3. उनमें धर्मनिरपेक्ष आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए और इसके लिये आधुनिक शिक्षा को उनके मजहबी शिक्षा के समक्ष मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
4. उन्हें परिवार नियोजन को अपनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
5. उनमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि के उन्मूलन हेतु विशेष योजनागत प्रयास किए जाने चाहिए।
6. उनमें भारतीयता के आधार पर 'हम की भावना' विकसित करनी चाहिए।
7. उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करना चाहिए।
8. उपरोक्त के अलावा सच्चर समिति के द्वारा प्रस्तुत कुछ एक अन्य सुझावों पर भी ध्यान देना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर अमल करते हुए मुसलमानों की समस्या का समाधान करके ही एक बहुलक आधुनिक समाज के रूप में भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

ईसाइयों की सामाजिक समस्याएं

भारत में ईसाई दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है जो भारत में केरल, कर्नाटक, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखण्ड में फैला हुआ है। भारत में मुसलमानों की तरह ईसाई भी कोई सांस्कृतिक समुदाय नहीं है बल्कि ये अनेक क्षेत्रों से जुड़े हैं और क्षेत्रीय एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं। भारत के सभी ईसाइयों में सबसे प्रमुख दलित ईसाई है जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता व शिक्षा के जरिए अपने जीवनस्तर को उठाने के लिये ईसाइयत को ग्रहण किया था। इसके अलावा ईसाइयत से जुड़ी समस्याओं में आदिवासी ईसाइयों की समस्या प्रमुख हैं। इन ईसाइयों की समस्याओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है -

1. असुरक्षा की समस्या वर्तमान भारतीय ईसाइयों की सबसे प्रमुख समस्या है। हाल के वर्षों में उभरे हिन्दू कट्टरवाद ने साम्प्रदायिकता को बढ़ाकर ईसाइयों में असुरक्षा की समस्या को उत्पन्न किया है।
2. जान-माल की हानि भी ईसाइयों की एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है क्योंकि साम्प्रदायिक दंगों में सर्वाधिक हानि इन्हें ही उठानी पड़ती है। गुजरात की घटना, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की घटना और हाल में घटित दक्षिण उड़ीसा के कंधमाल जिले की घटना इस तथ्य को पुष्ट करते हैं।
3. दलित ईसाइयों में छुआछूत और भेदभाव की समस्या भी इनकी प्रमुख समस्या है। आज भी केरल में अनुसूचित जातियों से ईसाई बनने वाले छुआछूत एवं भेदभाव के शिकार हैं। उनके मृतकों के लिये चर्च की घण्टी नहीं बजाई जाती है और न ही अंतिम प्रार्थना के लिए पादरी मृतक के घर जाता है। अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को गिरजाघर के भीतर नहीं ले

Scanned by CamScanner

जाया जा सकता है। चर्च में उनको दाहिनी ओर अलग खड़ा रहना पड़ता है।

4. भारत में ईसाइयों की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि ये किसी राजनीतिक दल के रूप में संगठित नहीं हैं। फलतः ये दबाव समूह के रूप में भारतीय राजनीति में अहम् भूमिका नहीं अदा कर पाते हैं और अपेक्षित रूप से योजनागत लाभों से वंचित रह जाते हैं।

ईसाइयों की समस्या के कारण

भारत में ईसाई समुदाय की उपरोक्त समस्याओं के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं:

1. उभरता हुआ धार्मिक कट्टरवाद आज ईसाइयों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन के समय अपनाए गए ईसाई धर्म के विरोध में कुछ कट्टरपंथी हिन्दू संगठनों द्वारा उन्हें पुनः हिन्दू बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं और इस संदर्भ में ईसाई समुदाय पर हिंसात्मक आक्रमण भी किए गये हैं।
2. नृजातीय केन्द्रीयता की भावना ने अपने समूह के प्रति पहचान एवं अन्य समूहों के प्रति घृणा को मजबूत बनाया है जिसका परिणाम अक्सर संघर्षों एवं तनावों के रूप में देखने को मिलता है।
3. स्वार्थी व्यक्ति, समूह और राजनीतिक दलों ने भी धर्म को अपने स्वार्थों के लिये प्रयोग किया है। इनके द्वारा धार्मिक व साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है फलतः सामान्य जनता के बीच तनाव बना रहता है।
4. जाति व्यवस्था के अवशेष भी ईसाइयों की समस्या हेतु उत्तरदायी हैं जहां धर्म परिवर्तित दलित जातियों पर आज भी उच्च जातियों द्वारा अत्याचार व शोषण की घटनाएं सामान्य हैं और जिसका विरोध दोनों समुदायों के मध्य तनाव के रूप में प्रकट होता है।

समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास

भारत में 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में सूचित किया गया है और इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कई उपचारात्मक प्रयास किये गये, जैसे -

1. संवैधानिक उपाय के तहत इन्हें भाषा-लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है; शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया; अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय पर नजर रखने हेतु एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
2. इनके लिए अनेक शैक्षणिक विकास संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं; इन्हें परीक्षा पूर्व कोचिंग, छात्रवृत्ति आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की समस्याओं की जांच के लिये अल्पसंख्यक शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त प्रयासों ने निश्चित तौर पर ईसाइयों की समस्या के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आज ईसाई समुदाय पूर्णतः समस्या मुक्त है। आज भी केरल के दलित ईसाइयों में छुआछूत एवं भेदभाव की समस्या बनी हुई है; मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड आदि राज्यों के ईसाइयों में गरीबी एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। हाल में घटित दक्षिणी उड़ीसा के कंधमाल जिले की घटनाएँ उनकी साम्प्रदायिकता संबंधी समस्या को उजागर करती है। ईसाइयों की इन समस्याओं का समाधान करके ही एक बहुलक समाज ही स्थापना एवं भारत की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिसके लिए निम्न सुझावों पर विचार आवश्यक है।

1. दोनों समुदायों को विभिन्न उत्सवों व त्यौहारों में पारस्परिक सहभागिता बढ़ाकर एक-दूसरे के निकट लाना चाहिए और पारस्परिक विश्वास में वृद्धि करना चाहिए।
2. बलात् या धोखाधड़ी पर आधारित धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को सुरक्षा दी जानी चाहिए।
3. ईसाइयों में प्रशासनिक व राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सुरक्षा की भावना का विकास किया जाना चाहिए।
4. उनमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार करके उनके मध्य छुआछूत व भेदभाव की भावना को दूर करना चाहिये।
5. ईसाइयों में पिछड़े तबकों की पहचान करके जैसा कि केरल में किया गया है संरक्षणात्मक भेदभाव के तहत

Scanned by CamScanner